

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 52/2018 अंतर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2018/00080)

अनवान:

1. कानसिंह पुत्र मूलदास अकवाम जाति राजपूत साकिन चक पोटलिया मांजरा तहसील नागौर वगैरह।

बनाम

1. अचलसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत साकिन हाल चक पीएसडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज।
3. आमलकंवर पत्नि सवाई सिंह वगैरह।

23.09.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांट उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांट स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 23.09.2024 को सुनाया गया।

9/23/24
(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर